



उ०प्र० शासन
लोक निर्माण अनुभाग-11
संख्या-93/2026/1/1252490/2026/23-11099(099)/306/2025
लखनऊ, दिनांक 26-02-2026
शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-477/2025/1/1159091/2025/23-11099(099)/306/2025, दिनांक 30-11-2025 द्वारा जनपद गाजीपुर में मरदह-कासिमाबाद मार्ग (प्र०जि०मा०) (लम्बाई 12.140 कि०मी०) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की लागत रू० 3584.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल रू० 716.87 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है, जिसके प्रस्तर-1 की तालिका के कालम-2 में कार्य के वास्तविक खण्ड का नाम "गाजीपुर, नि०ख०-3" के स्थान पर टंकण त्रुटिवश "गाजीपुर, प्रा०ख०" अंकित हो गया है।

अतः उक्त शासनादेश दिनांक 30-11-2025 के प्रस्तर-1 की तालिका के कालम-2 में "गाजीपुर, प्रा०ख०" के स्थान पर "गाजीपुर, नि०ख०-3" अंकित पढ़ा एवं समझा जाय।

2- उक्त शासनादेश संख्या-477/2025/1/1159091/2025/23-11099(099)/306/2025, दिनांक 30-11-2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 30-11-2025 की शेष विवरण, शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
- 13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ०प्र० शासन।
- 16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।